न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

12/4/18 प्रकरण - प्रार्थनापत्र श्रीमति फूली बानू बनाम मोहम्मद रफिक वगैरह प्र0-57/18

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी सं. 2 अनुपस्थित। अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी दि. 8-5-18 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना दि. 8/5/18 को पेश हो।

30.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कुण्डियाकंला में पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर में उपस्थित। विचारण प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली से सम्बन्धित इसी के मूल वाद संख्या 26/2018 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट को शिविर के दौरान ही ड्रोप कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे इस पत्रावली को अब आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उपरोक्त स्थिति से उभयपक्ष भी सहमत है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विगत सुनवाई दिनांक 05.03.2018 से पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को इसी स्तर पर निरस्त/अपास्त कर आगे की कार्यवाही स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे ।